न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी — पूनम मीणा (RAS)
मुकदमा नम्बर :–109 / 2023 — GCMS NO. 2023/441

विनोद कुमार पुत्र हनुमान सिंह उम्र 53 वर्ष जाति अहीर निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

..................वादी

– बनाम –

1. संगीता मैढा पत्नी धर्मवीर सिंह उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी हंसासर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
2. धर्मवीर पुत्र अमर सिंह उम्र...... वर्ष जाति जाट निवासी हंसासर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

..................प्रतिवादीगण

दावा –खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री राजेश यादव — अभिभाषक — वादी
2. श्री अशोक यादव
3. श्री मुकेश चौधरी — अभिभाषक — प्रति.सं. 1 व 2
4. श्री रजनीश गजराज
5. श्री प्रविन्दर सिंह शेखावत

–:– **निर्णय** :– दिनांक :–11.11.2025

उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र वादी की ओर से दिनांक **15.06.2023** को इस आशय का पेश किया गया है कि :–

1. यह कि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमी ख.न. 689 रकबा 0.30 हेक्टर ख.न. 745 रकबा 1.98 हेक्टर किता 2 रकबा 2.28 हेक्टर में वादी का 13/76 हिस्सा हैं, प्रतिवादी स. 1 ने खातेदार जगदीश चन्द्र से उसका हिस्सा 63/76 हिस्सा खरीदना .... हिस्सा पर काबिज है वादी के 13/76 हिस्से के अनुसार उसके हि...... हेक्टर रकबा आता है जिसके अनुसार वादी का कब्जा ख...... में रास्ता के सहारे 0.09 हेक्टर रकबा पर कब्जा है इस प्रकार वादी उक्त भूमी पर काबिज है।
2. यह कि प्रतिवादी सं. 1 ने खातेदार जगदीशचन्द्र से जो उसका हिस्सा खरीदने के पश्चात वादी से विवाद पैदा कर दिया हैं प्रतिवादी का 63/76 हिस्सा हैं जिसके अनुसार उसके हिस्से मे 1.89 हेक्टर रकबा आता हैं प्रतिवादी स. 1 का ख.न. 745 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.10 16:17:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उतरी तरफ के 0.09 हैक्टर रकबा को छोड़कर शेष भाग पर कब्जा हैं अर्थात् प्रतिवादी स.1 का ख.न. 745 मे 1.89 हैक्टर रकबा पर कब्जा हैं जबकि ख.न. 745 का रकबा 1.98 हैक्टर हैं।

3. यह कि प्रतिवादी स.1 सरकारी कर्मचारी हैं उन्होने बिना अपने विभाग की स्वीकृति एवं बिना सुचना के प्रतिवादी स.1 के नाम से 63/76 हिस्सा खरीद किया हैं एवं प्रतिवादी स. 1 के 63/76 हिस्सा के अनुसार केवल 1.89 हैक्टर रकबा ही आता हैं जबकि ख. न. 669 एवं ख.न. 745 किता 2 रकबा 2.28 हैक्टर हैं इसलिए प्रतिवादी स. 1 को अपने हिस्से से ज्यादा एवं अधिक उपयोगी एवं मूल्यवान भाग पर कब्जा करने का अधिकार नही हैं अर्थात् प्रतिवादी स. 1 को ख.न. 669 एवं 745 पर रास्ता के साथ—साथ कब्जा करने का अधिकार नही हैं यदि कानूनी रूप से माना जावे तो भी वादी को अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमी अपने हिस्से के अनुसार प्राप्त करने का अधिकार हैं तथा संयुक्त खातेदारी की भूमी मे प्रतिवादी स.1 का इसके विशिष्ट भाग पर निर्माण करने तारबाड़ करने का भी कोई अधिकार नही हैं वादी को विभाजन मे ख.न. 669 रकबा 0.30 हैक्टर एवं ख.न. 745 में से 0.09 हैक्टर कुल 0.39 हैक्टर रकबा प्राप्त करने का अधिकार हैं।

4. यह कि प्रतिवादी स. 1 व 2 आपराधिक किस्म के लड़ाकू, झगड़ालू प्रवृति के हैं एवं उन्होने भू— माफिया लोगो से सम्पर्क कर वादी के 0.39 हैक्टर रकबा पर जबरन कब्जा करने की धमकी देते हुये ख.न. 669 एवं 745 मे निर्माण करने एवं तारबाड़ करने की कोशिश करना शुरू कर दिया हैं एवं खम्भे लगाकर सड़क के पास दोनों तरफ तार लगा दिये जिससे वादी का ख.न. 669 एवं 745 में प्रवेश किया जाना मुश्किल हो गया हैं जबकि प्रतिवादी स.1 को ख.न. 669 एवं 745 मे जबरन सम्पूर्ण पर कब्जा करने निर्माण करने तारबाड़ लगाने या वादी को उसका 13/76 हिस्सा कास्त करने में बाधा कारित करने का कोई हक व अधिकार नही है वादी व प्रतिवादी स. 1 संयुक्त खातेदार हैं एवं संयुक्त खातेदारी की भूमी पर प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा हैं इसलिए प्रतिवादी स. 1 को वादी को उसके हिस्से के कब्जा कास्त में बाधा कारित करने का एवं सम्पूर्ण पर तारबाड़ करने निर्माण करने एवं वादी के 0. 39 हेक्टर रकबा पर कब्जा करने का प्रतिवादी स. 1 व 2 को कोई हक व अधिकार नही हैं यदि प्रतिवादी स. 1 व 2 ने वादी को उसके 13/76 हिस्से मे बाधा कारित की कोई कच्चा या पक्का निर्माण कर लिया सम्पूर्ण मे तारबाड़ कर सम्पूर्ण रकबा को अपने कब्जा में ले लिया तो वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया सकेगा इसलिए वादी के लिए अपने अधिकारों की सुरक्षा व अपने हिस्से के विभाजन हेतु यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

5. यह कि दावा के लिए आधार विवादित वादी का 13/76 हिस्सा होने एवं वादी का 13/76 हिस्से के अनुसार 0.39 हैक्टर रकबा होने वादी का ख.न. 669 रकबा 0.30 हैक्टर सम्पूर्ण व ख.न. 745 के 0.09 हैक्टर रकबा पर कब्जा होने एवं वादी का खाता संयुक्त होने तथा प्रतिवादी स. 1 व 2 द्वारा जबरन वादी के हिस्सा के कब्जा कास्त में बाधा कारित करने एवं ख.न. 669 व 745 सम्पूर्ण पर जबरन कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.10 16:17:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

करने की धमकी देते हुये इसमें निर्माण करने व तारबाड लगाकर वादी के कब्जा कास्त मे दखल करने से पैदा हुआ हैं अतः दावा अन्दर मियाद हैं।

6. यह कि वाद वर्णित भूमी वाके ग्राम बुहाना में स्थित होने से यह वाद पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

7. यह कि दावा खाता विभाजन के लिए 1/–रू. कोर्ट फीस दावा स्थाई निषेधाज्ञा के लिए 1/–रू. कोर्ट फीस अर्थात् दावा कुल 2/–रू. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामे पेश हैं।

8. यह कि वाद वर्णित भूमी का अपडेटेड रिकॉर्ड पेश हैं एवं वाद पत्र द्वितिय प्रति मे हैं व वाद पत्र के समर्थन मे वादी का शपथ पत्र पेश हैं।

9. **अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–**

(क) वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमी ख.न. 669 रकबा 0.30 हैक्टर ख.न. 745 रकबा 1.98 हैक्टर किता 2 रकबा 2.28 हैक्टर मे वादी के 13/76 हिस्से का खाता विभाजन कर वादी को अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी उसकी उपयोगिता एवं मूल्यांकन के अनुसार भूमी विभाजन मे दी जाकर वादी को ख.न. 669 की सम्पूर्ण व ख.न. 745 की उतरी तरफ का 0.09 हैक्टर रकबा विभाजन मे दिये जाने कि कृपा करें एवं विभाजन में वादी के हिस्से में आने वाले रकबा पर सीमांकन एवं मापन कर वादी का स्वतन्त्र रूप से कब्जा करवाया जाने कि कृपा करें।

(ख) प्रतिवादी स. 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमी ख.न. 669 रकबा 0.30 हैक्टर ख.न. 745 रकबा 1.98 हैक्टर किता 2 रकबा 2.28 हैक्टर में किसी तरफ का कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करे सम्पूर्ण के तारबाड़ नहीं करे वादी के 13/76 हिस्से के कब्जा कास्त उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करे तथा ख.न. 669 सम्पूर्ण व ख.न. 745 के उतरी 0.09 हैक्टर रकबा में वादी के कब्जा कास्त मे दखल नही करे ऐसा कृत्य ना स्वंय करे ना किसी अन्य से करवाये।

(ग) दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादी जिसका वाजिब हकदार हो वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाये जाने की कृपा करें।

10. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तामील जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा मय प्रतिदावा इस प्रकार से पेश हुआ है कि :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.10 16:17:21 IST
Reason: SelfAttested

(जवाब दावा प्रतिवादी सं० 1 व 2)

11. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 1 में वर्णित भूमि ख० नं० 669 रकबा 0.30 है० ख० न0 745 रकबा 1.98 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.28 है0 में वादी का 13/76 हिस्सा प्रति० स० 1 का 63/76 हिस्सा होना स्वीकार है शेष अस्वीकार है वादी भी इस भूमि का मूल खातेदार नहीं है उसने भी उक्त भूमि को क्रय किया है इस भूमि में प्रति० स० 1 का कब्जा काश्त ख० न0 669 रकबा 0.30 है० सम्पूर्ण तथा ख0न0 745 रकबा 1.98 है0 में से 1.59 है0 भूमि जो उतरी हिस्सा सम्पूर्ण व पश्चिमी हिस्सा पर

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

कब्जा काश्त है जिस पर प्रति० स० 1 ने अपने हिस्से पर सम्पूर्ण हिस्से पर तारबाड कर आवारा पशुओं से बचाव करने हेतु गेट लगा रखा है तथा शान्तिपूर्वक काबिज कास्त है वादी के हिस्से में ख० न० 745 का दक्षिणी पूर्वी कोने में 0.39 है0 भूमि पर कब्जा कास्त है तथा उसी अनुसार मौके पर वादी एवं प्रति० स० 1 काबिज कास्त है प्रतिवादी जबाब के साथ उसके हिस्से व कब्जे कास्त वाली भूमि का नजरी नक्शा प्रस्तुत कर रहा है जिससे मार्क ए. बी. सी. डी. एफ के मध्य प्रति० स० 1 के कब्जे कास्त की भूमि को दर्शाया गया है तथा मार्क सी, डी, व ई. जी से वादी के कब्जे कास्त की भूमि को दर्शाया गया है तथा मौके पर इसी अनुसार काबिज कास्त है।

12. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 2 जिस भांति दर्ज है अस्वीकार है प्रति० स० 1 ने किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा नहीं किया है प्रति० स० 1 अपने 63/76 हिस्से पर काबिज कास्त है तथा पूर्व में जिस खातेदार से प्रति० स0 1 ने भूमि क्रय की है उसका कब्जा कास्त भी नजरी नक्शे के अनुसार ही रहा है उसी प्रकार वर्तमान में प्रति० स० 1 का कब्जा कास्त है तथा वादी ने जिस खातेदार से उक्त भूमि क्रय की है उसका कब्जा कास्त ख० न0 745 के दक्षिणी पूर्वी कोने में 0.39 है० पर रहा है तथा वर्तमान में उस पर वादी का कब्जा कास्त है प्रति० स० 1 ने अपने हिस्से की भूमि के चारों तरफ आवारा पशुओं के बचाव के लिए तारबाड़ कर रखी है उसी अनुसार मौके पर काबिज कास्त है वादी के मन में बेईमानी आ गई है इसलिए वह अपना हिस्सा सड़क के उपर दर्ज कर गलत तथ्यों के आधार पर विभाजन का दावा प्रस्तुत किया है जबकि उसने जिन खातेदारों से भूमि क्रय की है उसका कब्जा कास्त ख० नं0 745 की दक्षिणी पश्चिमी कोने में था जिस पर वर्तमान में वादी का कब्जा कास्त है।

13. यह कि वाद पत्र का खण्ड स० 3 जिस भांति दर्ज है अस्वीकार है किसी भी सम्पति को क्रय करने के लिए विभाग की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रति० स० 1 ने ख० न0 669 व 745 में से 63/76 हिस्सा क्रय किया है जिस पर वर्तमान में प्रति० स० 1 खातेदार कास्तकार है तथा अपने हिस्से की भूमि पर आवारा पशुओं से भूमि व फसल को नुकशान ना हो इसलिए चारों तरफ तारबाड़ कर गेट लगा रखा है। तथा वादी का 13/76 हिस्सा ख० न० 745 के दक्षिणी पूर्वी कौने में है जो मौके पर उसके कब्जे कास्त में है प्रति० स० 1 ने हिस्से से अधिक की भूमि पर कोई कब्जा कास्त नहीं है वादी की भूमि मौके पर स्थित है लेकिन अब उसके मन में बेईमानी आ गई है तथा प्रति० [illegible] अपनी होना दर्ज कर उक्त झुठा वाद प्रस्तुत किया है जबकि वादी [illegible] कास्त सदैव से ख० न0 745 के दक्षिणी पूर्वी कौने पर [illegible] ख० न० 669 व 745 की किस्म रिकार्ड के अनुसार ब[illegible] की कीमत व मुल्यांकन भी एक ही है वादी ने जिस खतोदार से भूमि क्रय की [illegible] उसका कब्जा ख० न0 745 की दक्षिणी पश्चिमी कौने में था जिस पर वर्तमान में वादी का कब्जा कास्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.10 16:17:21 IST
Reason: SelfAttested

14. यह कि वाद पत्र का खण्ड स० 4 जिस भांति दर्ज है अस्वीकार है प्रति० स० 1 व 2 कर्मचारी वर्ग के हैं वह अपनी डयूटी करते हैं वह किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृति के नहीं है तथा ना ही उसके विरूद्ध कोई मामला लम्बित है

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादी स्वयं एक भू माफिया है जिसने मोहित आई.टी.आई के नाम से संस्था चलाता है उस पर भी हिस्से से अधिक भूमि पर निर्माण कर कब्जा कर रखा है। अब वादी की नजर प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त वाली भूमि पर है तथा जबरन प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त वाली भूमि पर कब्जा करने की धमकी देता है। जबकि वादी का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 745 के दक्षिणी पूर्वी कौने पर है उसी अनुसार उसका कब्जा काश्त है। वादी वाद की आड़ में प्रतिवादी संख्या 1 को उसके कब्जे काश्त की भूम से हटाना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है जबकि वह स्वयं अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 745 के दक्षिणी पूर्वी कौने पर कब्जे काश्त है। इसलिए वादी को किसी प्रकार की कोई अपूर्तनीय क्षति नहीं हो रही है। वादी उक्त वाद के दबाव में प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि अपनी बताकर उस पर कब्जा करना चाहता है जिस उसे कोई अधिकार नहीं है।

15. यह कि वाद पत्र का खण्ड स० 5 जिस भांति दर्ज है अस्वीकार है वादी अपने 13/76 हिस्सा जो मौके पर कदीम से ख० न० 745 के दक्षिणी पूर्वी कौने पर स्थित है उस पर काबिज कास्त है ख० न० 669 में वादी का कभी भी कोई कब्जा कास्त नहीं रहा है प्रति० स० 1 अपने 63/76 हिस्से पर चारों तरफ तार बाड़ कर गेट लगाकर काबिज कास्त है तथा वादी ख० न0 745 के दक्षिणी पूर्वी हिस्से पर काबिज कास्त है प्रतिवादीगण ने वादी के कब्जे कास्त पर कोई दखलंदाजी नहीं की है इसलिए वादी को कोई आधार विवाद पैदा नहीं हुआ है।

16. यह कि वाद पत्र का खण्ड स० 6 बाबत क्षेत्राधिकार है जिसके उतर की कोई आवश्यकता नहीं है।

17. यह कि वाद पत्र का खण्ड स० 7 बाबत कोर्ट फीस है जिसके उतर की आवश्यकता नहीं है।

18. यह कि वाद पत्र का खण्ड स० 8 जिस भाति दर्ज है जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। अतः अनुतोष वादी अस्वीकार है।

19. **अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि** :–अनुतोष वादी अस्वीकार है।

(प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2)

बाबतखाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

20. यह कि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख० न० 669 रकबा 0.30है० ख० न० 745 रकबा 1.98है० कुल किता 2 कुल रकबा 2.28 है0 में प्रतिदावाकर्ता/प्रति० सं० 1 का 63/76 हिस्सा है तथा दावाकर्ता वादी का 13/76 हिस्सा है प्रतिदावाकर्ता के 63/76 हिस्से में 1.89है० भूमि आती है जिस पर प्रतिदावाकर्ता/प्रति० स० 1 काबिज कास्त है प्रतिदावाकर्ता /प्रति० स० 1 का ख० न0 669 रकबा 0.30 है० सम्पूर्ण व द[illegible]मी कौने पर काबिज कास्त है प्रतिदावाकर्ता/प्रति० स० 1 [illegible] कब्जे कास्त वाली भूमि का नजरी नक्शा साथ प्रस्तुत [illegible] है जो प्रतिदावे का अभिन्न अंग रहेगा। नजरी नक्शें में मार्क ए. बी. सी. डी. ई. एफ से प्रति[illegible]कर्ता/प्रति० स० 1 के कब्जे. कास्त की भूमि को दर्शाया गया है तथा वादी के कब्जे कास्त की भूमि को नजरी नक्शे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.10 16:17:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

मार्क सी, डी, ई जी से दर्शाया गया है इसी अनुसार मौके पर प्रतिदावाकर्ता / प्रति० स० 1 काबिज कास्त है।

21. यह कि प्रतिदावे के खण्ड स० 1 में वर्णित भूमि व हिस्से अनुसार आई भूमि पर प्रतिदावाकर्ता / प्रति० स० 1 ने अपने हिस्से की भूमि पर आवारा पशुओं से अपनी भूमि व फसल को बचाने के लिए चारों तरफ तारबाड़ कर रखी है तथा प्रतिदावाकर्ता / प्रति० स० 1 की भूमि ख० न० 745 के दक्षिणी पूर्वी कौने पर मौके पर स्थित है जिस पर उसका कब्जा कास्त है इसी अनुसार मौके पर प्रतिदावाकर्ता / प्रति० स० 1 शान्तिपूर्वक अपनी भूमि पर काबिज कास्त है।

22. यह कि वादी स० 1 एक भूमाफिया है तथा लोगों को बहला फुसलाकर उनकी भूमियां को हड़पता है उसने ग्राम बुहाना में ही मोहित आई.टी.आई. के नाम से संस्था चलाता है जिस पर भी जबरदस्ती हिस्से से अधिक पर कब्जा कर रखा है व उसकी नजर प्रतिदावाकर्ता / प्रति० स० 1 की कब्जे व हिस्से वाली भूमि पर है तथा जबरन वादी प्रतिदावाकर्ता / प्रति० स० 1 की भूमि पर कब्जा कर तारबाड़ को उखाड़ना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है यदि वादी अपने इन मन्सूबों में कामयाब हो जाता है तो प्रतिदावाकर्ता / प्रति० स० 1 को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए प्रतिदावाकर्ता को स्थाई निषेधाज्ञा व खाता विभाजन का प्रतिदावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

23. यह कि प्रतिदावा 2 रूपये कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

24. यह कि प्रतिदावा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रतिदावे ने प्रति० स० 1 का शपथ पत्र संलग्न है।

25. अतः प्रतिदावा पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–

(क) वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित भूमि ख० न० 669 रकबा 0.30 है० ख० न० 745 राकबा 1.98 है० कुल किता 2 कुल रकबा 2.28 है० में प्रतिदावाकर्ता / प्रति० स० 1 के 63/76 हिस्से का खाता विभाजन नजरी नक्से के अनुसार ख० न० 669 सम्पूर्ण तथा ख० न० 745 का उत्तरी हिस्सा व दक्षिणी पश्चिम कौना जिसको नजरी नक्से में मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ से दर्शाया है, विभाजन में दिये जाने की कृपा करे एवं विभाजन में प्रतिदावाकर्ता / प्रति० स० 1 के हिस्से में आने वाले रकबे की खातेदारी अलग से दर्ज कर लगान कायम किया जावे।

(ख) दावे में दर्ज वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वाके ग्राम बुहाना तहसील [illegible] रकबा 0.30 है० ख० न० 745 रकबा 1.98 है० कुल किता [illegible] 2.28 है० में प्रतिदावाकर्ता / प्रति० स० 1 के 63/76 [illegible] किसी प्रकार की कोई दखलदाजी ना करे [illegible] प्रतिदावाकर्ता / प्रति० स० 1 की तारबाड़ को हटाये ऐसा ना स्वयं करे [illegible] ना ही अपने किसी जानकार या मित्र आदि से करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.10 16:17:21 IST
Reason: SelfAttested

(ग) वाद प्रतिदावाकर्ता / प्रति० स० 1 विरूद्ध वादी डिक्री किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(घ) अन्य अनुतोष जो आयाचित रह गया हो प्रतिवादाकर्ता/प्रति० सं० 1 दिलवाया जावें।

26. वादी की ओर से पत्रावली पर राजस्व साक्ष्य अभिलेख के रूप में राजस्व ग्राम **बुहाना** पटवार हल्का बुहानाकी नकल जमाबन्दी संवत 2075–2078 हाल खाता संख्या 257व नकल नक्शा खसरा नम्बर 669, 745 पेश हुई।वादीकी ओर से इसके अतिरिक्त अन्य और कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित नजरी नक्शा पेश हुआ।

27. अधिवक्ता उभय पक्षकारानके निवेदन पर बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारानसुनी गई।

28. अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व ग्राम बुहाना स्थित वादीएवं प्रतिवादी संख्या 1की संयुक्त खातेदारी काश्त की भूमि हाल खाता संख्या 257का रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार एवं मौके पर कब्जा काश्त तथा रास्ता कायम करते हुये वादी के 13/76हिस्से की भूमि का अलगखाता विभाजन किया जावे।

29. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व ग्राम बुहानास्थित वादीएवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी काश्त की भूमि हाल खाता संख्या257 का रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार एवं मौके पर कब्जा काश्त तथा रास्ता कायम करते हुये वादी के13/76हिस्से की भूमि का अलग खाता विभाजन किये जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का भी प्रतिदावा बाबत खाता विभाजन स्वीकार कर उनकेहिस्से की भूमि का भीअलगखाता विभाजन किया जावे।

30. पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी राजस्व ग्राम **बुहाना** संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 257 की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वादी वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त तथा रास्ता कायम करवाते हुये अपना खाता विभाजन अलग करवाना चाहते है।

31. दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट द्वारा जवाब व प्रतिदावा पेश किया गया। अतः न्यायाल वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.06.2025 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 512 दिनांक 30.06.2025 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 327 दिनांक 01.10.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली किये। विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया उभयपक्षकार के अधिवक्ता द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने एतराज पेश नहीं किया है।

32. अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 ग्राम **बुहाना** पटवार हल्का बुहाना तहसील बुहाना के हाल खाता संख्या 257 में दर्ज वादी के हिस्से की भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि का हिस्सेनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.10 16:17:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

वाद वादी एवं प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 बाबत खाता विभाजन की हद तकसीमकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। लिहाजा

–: आदेश :–

" अतः वाद वादी एवं प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 बाबत खाता विभाजन की हद तकसीमकार किया जाता है। वाके ग्राम **बुहाना** पटवार हल्का बुहाना तहसील बुहाना जिला **झुंझुनूं** राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के हाल खाता संख्या **257** के हाल खसरा नम्बर 669 रकबा 0.30 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 745 रकबा 1.98 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.28 हैक्टेयर में वादी के दर्ज 13/78 हिस्से की भूमि का **अलग** एवं प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज 63/78 हिस्से की भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा **प्रदर्श** "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा **प्रदर्श** "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

33. निर्णय आज दिनांक **11.11.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ... जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.10 16:17:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद संख्या 109/2023
विनोद कुमार बनाम संगीता आदि
निर्णय दिनांक 11.11.2025

वाद मे डिक्री (अंतिम)
डिक्री व मुकदमे सुनवाई
(आदेश 20 रूल्स 6, 7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–

पूनम मीणा (RAS)

विनोद कुमार पुत्र हनुमान सिंह उम्र 53 वर्ष जाति अहीर निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

....................वादी

– ब नाम –

1. संगीता भैड़ा पत्नी धर्मवीर सिंह उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी हंसासर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. धर्मवीर पुत्र अमर सिंह उम्र...... वर्ष जाति जाट निवासी हंसासर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज)
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

..........................प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– **खाता विभाजन** एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा नम्बर :–109/2023 **GCMS NO. 2023/441**

निर्णय दिनांक :–11.11.2025

वादी की ओर से **श्री** राजेश यादव, श्री अशोक यादव एडवोकेट की व प्रतिवादी संख्या 1की ओर से **श्री मुकेश** चौधरी, श्री रजनीश गजराज, श्री **प्रविन्दर सिंह शेखावत एडवोकेट** कीउपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **11.11.2025** को पूनम मीणा **(आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष **अंतिम** निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

“ **वाद** वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1बाबत खाता विभाजन ही हद तक स्वीकार **किया** जाता है। वाके ग्राम **बुहाना** पटवार हल्का बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 [illegible] खाता संख्या **257**के हाल खसरा नम्बर 669 रकबा 0.30 हेक्टेयर ए[illegible] हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.28 हेक्टेयर में वादी [illegible] की भूमि का **अलग** एवं प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज 63/76 हिस्से की भूमि का खाता [illegible] लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–2'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.10 16:17:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

"अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **11.11.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.10 16:17:21 IST
Reason: SelfAttested